।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रेणू मीना, आर०ए०एस०

राजस्व वाद नं०	तारीख रज्जू	तारीख निर्णय
2/19	07.03.2022	30.03.2022

01– आबिद पुत्र तैय्यब हुसैन उम्र करीब 30 साल जाति मेव
02– साजिद पुत्र तैय्यब हुसैन उम्र करीब 26 साल जाति मेव निवासीयान ग्राम नंगला डूंगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर
03– शाहिदा पुत्री तैय्यब हुसैन पत्नी आसिफ उम्र करीब 24 साल जाति मेव निवासी ग्राम नंगला डूंगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल आबाद रणयानी तहसील तावडू जिला नूंह मेवात (हरियाणा)
04– तैय्यब हुसैन पुत्र सुलेमान खां जाति मेव निवासी ग्राम नंगला डूगर तहसील जिला अलवर

–प्रार्थीगण

बनाम

01– शोराब उर्फ सौराभ पुत्र गरीबा उम्र करीब 58 वर्ष जाति मेव
02– सलीम पुत्र गरीबा उम्र करीब 56 वर्ष जाति मेव
03– तैय्यब पुत्र गरीबा उम्र करीब 52 वर्ष जाति मेव
04– अय्यब उर्फ अयूब पुत्र गरीबा उम्र करीब 50 वर्ष जाति मेव
05– असरफ पुत्र गरीबा उम्र करीब 47 वर्ष जाति मेव निवासियान ग्राम बेलाका तहसील व जिला अलवर
06– मु. मौहम्मदी पुत्री गरीबा पत्नी अब्दुल रज्जाक जाति मेव निवासी ग्राम बेलाका तहसील व जिला अलवर हाल आबाद ग्राम नंगला डूंगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान

सहायक कलक्टर

काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 132 रकबा 0.01 है०, 133 रकबा 0.43 है०, 134 रकबा 0.22 है०, 135 रकबा 0.23 है०, 203 रकबा 0.35 है०, 204 रकबा 0.36 है०, 205 रकबा 0.43 है० कुल किता 7 रकबा 2.03 है० में अय्यब उर्फ अयूब, असरफ पुत्र गरीबा का 1/21 हिस्सा, तैय्यब, नन्नी पत्नी गरीबा मृतक का 1/21 हिस्सा, मौहम्मदी पुत्री गरीबा का 1/21 हिस्सा, सलीम, सौराभ पुत्रान गरीबा का 1/21 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा हाल खाता संख्या 23 पुराना खाता संख्या 26 खसरा नम्बर 186 रकबा 0.08 है०, 187 रकबा 0.61 है०, 188 रकबा 0.52 है० कुल किता 3 रकबा 1.21 है० में अय्यब उर्फ अयूब का 1/84 हिस्सा, असरफ पुत्र गरीबा का 1/84 हिस्सा, तैय्यब पुत्र गरीबा का 1/84 हिस्सा, नन्नी पत्नी गरीबा मृतक का 1/84 हिस्सा, मौहम्मदी पुत्री गरीबा का 1/84 हिस्सा, सलीम पुत्र गरीबा कबा 1/84 हिस्सा, सौराभ पुत्र गरीबा का 1/84 हिस्सा वाके ग्राम बेलाका में स्थित है जो विवादित आराजी है। मृतक गरीबा एवं नन्नी पत्नी गरीबा का सजरा निम्न प्रकार से है:-

(1) सौराभ (2) तैय्यब (3) सलीम (4) अय्यब उर्फ अयूब (5) असरफ पुत्रान गरीबा एवं नन्नी (6) मौहम्मदी (7) महमूदी उर्फ लाली पुत्रीयान जिनमें से महमूदी उर्फ लाली का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिसान (1) आबिद (2) साजिद पुत्रान एवं (3) शाहिदा पुत्री है। सभी वारिसान गरीबा के जायज औलाद है। विवादित आराजी पुश्तैनी है। पूर्वजों से पक्षकारों के पिता व नाना मृतक गरीबा पुत्र हसना मेव ग्राम बेलाका तहसील अलवर को प्राप्त हुई है। जिसके वारिसान पॉच बेटे व दो बेटियां वो विधवा मृतक नन्नी पत्नी गरीबा के मरने के बाद उसकी चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज चले आ रहे है, और सभी वारिसान सह-खातेदार है। प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गई है। वादीगण जो मृतक महमूदी के हिस्से की भूमि को हडप करने की गर्ज से इंतकाल नम्बर 183 दिनांक 06.12.2004 को राजस्व विभाग के कर्मचारियों से साज बाज होकर अपने नाम चढवा लिया और वादीगण की माता महमूदी पुत्री गरीबा के नाम इंतकाल नही चढवाया जबकि महमूदी पुत्री गरीबा मृतक गरीबा के मरते वक्त जिन्दा थी। मृतक महमूदी व सभी वारिसान प्रतिवादीगण ने मृतक गरीबा का ग्राम बेलाका में सुपुर्दखाक (दफनाया) वो उसकी सभी ने मिलक मस्जिद में तीजा के रोज कुरानी खानी सम्पन्न कराई और उसके खुदा जन्नत अदा फरमाये दुआएं की थी। जबकि

सहायक कलक्टर
अलवर

प्रतिवादीगण ने साजिश रचकर मृतक गरीबा का इंतकाल तीन साल तक नही चढवाया, महमूदी के मरने के बाद इंतकाल चढवाया गया। महमूदी के वारिसान को भनक नही लगे इसलिये सम्पत्ति से वंचित करने की गर्ज से फसल में हिस्सा देते रहे और कहा की आप ग्राम नंगला डूंगर में ही रहो आपका हिस्सा है। दिनांक 22.02.2022 को सरसो व गेहूं की फैसल कटने पर वादीगण ने हिस्सा मांगा तो प्रतिवादीगण ने हिस्सा देने से इन्कार कर दिया ओर कहा कि गरीबा की समस्त भूमि हमारे नाम है। जिस पर जमाबन्दी की नकल निकलवाई जिसमें महमूदी का नाम नही है, भूमि से वंचित कर दिया गया है। जिससे वादीगण के हक हकूक जायल हुए है। महमूदी पुत्री गरीबा को पिता मृतक गरीबा की भूमि में जो मुस्लिम विधि से प्राप्त होते उसे प्राप्त करने की वजह कॉज आफ एक्शन पैदा हुआ। सरसो की फैसल में दिनांक 26.02.22 को मना कर दिया। महमूदी का स्वर्गवास दिनांक 05.10.2003 को हुआ था। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन, नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 132 रकबा 0.01 है०, 133 रकबा 0.43 है०, 134 रकबा 0.22 है०, 135 रकबा 0.23 है०, 203 रकबा 0.35 है०, 204 रकबा 0.36 है०, 205 रकबा 0.43 है० कुल किता 7 रकबा 2.03 है० खसरा नम्बर 186 रकबा 0.08 है०, 187 रकबा 0.61 है०, 188 रकबा 0.52 है० कुल किता 3 रकबा 1.21 है० वाके ग्राम बेलाका को बिना तकमील कराये जरिये रहन, बैय, हिबा से मुन्तकिल व मकफूल ना करे व कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा ना करे तथा बेदखल ना करे एवं रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुल व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगण को विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 132 रकबा 0.01 है०, 133 रकबा 0.43 है०, 134 रकबा 0.22 है०, 135 रकबा 0.23 है०, 203 रकबा 0.35 है०, 204 रकबा 0.36 है०, 205 रकबा 0.43 है० कुल किता 7 रकबा 2.03 है० खसरा नम्बर 186 रकबा 0.08 है०, 187 रकबा 0.61 है०, 188 रकबा 0.52 है० कुल किता 3 रकबा 1.21 है० वाके ग्राम बेलाका तहसील व जिला अलवर में मौके व रिकॉर्ड

सहायक कलक्टर
अलवर

की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधा से पावन्द किया गया।

अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही आये। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बिना विवादित आराजी को बिना तकमील कराये जरिये रहन, बैय, हिबा से मुन्तकिल व मकफूल ना करे व कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा ना करे तथा बेदखल ना करे एवं रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 07.03.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) कर Confirm किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर संलग्न वाद रहे।

(रेणू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर